

१४३



राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :- प्र०(१) कार्मिक / नि.चि. / ३१/०८/ / ७२३

दिनांक:- २६/८/०८

कार्यालय—आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम १९७० के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये शर्मा डेन्टल हॉस्पिटल, एस-७, रेनबो टावर के पास, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। उक्त चिकित्सालय द्वारा कुल देय बिल पर १० प्रतिशत की छूट देय होगी।

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव
६/८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

- प्रमुख निजी सचिव—अध्यक्ष / आवा.आयुक्त / मुख्य अभियंता I/II रा०आ०म०, जयपुर।
- व०नि०स०—सचिव / वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज०आ०मण्डल, जयपुर।
- अति० मुख्य अभियंता राज०आ०मण्डल, जयपुर।
- उप आवासन आयुक्त वृत रा०आ०म० |
- आवासीय अभियंता खण्ड रा०आ०म० |
- शर्मा डेन्टल हॉस्पिटल, एस-७, रेनबो टावर के पास, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर। मोबाइल नं. - ९८२८५१९७६२
- समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय राज०आ०मण्डल, जयपुर।
- नोटिस बोर्ड / रक्षित पत्रावली।

सचिव
६/८
28/८/०८